

ऑस्ट्रेलिया ने हॉन्गकॉन्ग के साथ प्रत्यर्पण संधि निलंबित की

प्रीलिमिंस के लिये:

प्रत्यर्पण अधिनियम- 1962

मेन्स के लिये:

भारत-हॉन्गकॉन्ग संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने चीन द्वारा हॉन्गकॉन्ग में लगाए गए '[राष्ट्रीय सुरक्षा कानून](#)' की प्रतिक्रिया में हॉन्गकॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है।

प्रमुख बंदि:

- हॉन्गकॉन्ग चीन का एक 'विशेष प्रशासनिक क्षेत्र' (Special Administrative Regions-SAR) है।
- यह 'बेसिक लॉ' (Basic Law) नामक एक मनी-संवधान द्वारा शासित है, जो चीन की '[एक देश, दो प्रणाली](#)' के सिद्धांत की पुष्टि करता है।
- ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हॉन्गकॉन्ग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी।



प्रत्यर्पण (Extradition):

- प्रत्यर्पण किसी देश द्वारा अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में अभियोजन के लिये आत्मसमर्पण करने या प्रार्थी देश के अधिकार क्षेत्र में अपराध करने वाले व्यक्ति पर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करती है।
- इस प्रकार की संधियों को आम तौर पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि के माध्यम से लागू किया जाता है।

भारत में प्रत्यर्पण कानून:

- 'प्रत्यर्पण अधिनियम' (The Extradition Act)- 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिये वधायी आधार प्रदान करता है।
- प्रत्यर्पण अधिनियम-1962 के निर्माण का उद्देश्य भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को मज़बूत करना तथा उसमें संशोधन करना और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों से निपटना था।
- जनि देशों के साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि नहीं की है, उनके साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था का कानूनी आधार भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 3 (4) द्वारा प्रदान किया गया है।
- भारत की वर्तमान में 43 देशों के प्रत्यर्पण संधितथा 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था (Extradition Arrangement) है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के साथ समस्याएँ:

- **पुलिस को अनयंत्रित शक्तियाँ:**
 - 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' हॉन्गकॉन्ग में होने वाली पृथकतावादी, वधिवंसक या आतंकवादी गतिविधियों या हॉन्गकॉन्ग के मामलों में वदिशी हस्तकषेप के रूप में देखी जाने वाली गतिविधियों को प्रतबिधति करने की शक्ति बीजगि को देता है।
- **मानवाधकारों का उल्लघन:**
 - कानून के तहत पुलिस को बनि वारंट के खोज कार्य करने, इंटरनेट सेवाओं पर आवश्यक प्रतबिध लगाने जैसे अधकार दयि गए हैं। इस प्रकार यह कानून मानव अधकारों, वशिष रूप से भाषण की स्वतंत्रता का उल्लघन करता है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रया का पालन नहीं:**
 - कानून को हॉन्गकॉन्ग के लोगों की सहमतके बनि लागू कयि है, अतः यह हॉन्गकॉन्ग वधिानसभा की स्वतंत्रता पर हमला करता है।
 - बेसकि लॉ के अनुसार, चीन की सरकार हॉन्गकॉन्ग में तब तक कोई कानून लागू नहीं कर सकती है, जब तक कविह कानून एनेक्स-III नामक खंड में सूचीबद्ध नहीं कयि गया हो। इस प्रकार यह हॉन्गकॉन्ग के 'बेसकि लॉ' का भी उल्लघन करता है।

वैश्विक प्रतकिरया:

- **ऑस्ट्रेलया:**
 - ऑस्ट्रेलया ने दो से पाँच वर्ष के लयि वीजा वसितार और स्थायी नवास वीजा के मार्ग की भी घोषणा की है।
 - इससे पूव वर्ष 1989 में बीजगि के तयानमेन स्क्वायर (Beijing's Tiananmen Square) के आसपास लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों से हुए खूनी संघर्ष के बाद चीनी नागरिकों को 'सेफ हेवन' (Safe Haven) वीजा प्रदान कयि गया था।
 - उस समय ऑस्ट्रेलया में 27,000 से अधकि चीनी छात्रों को स्थायी रूप से रहने की अनुमति दी गई थी।
- **कनाडा:**
 - कनाडा भी हॉन्गकॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को वापस लेने पर वचिार कर रहा है और प्रवास सहति अन्य वकिल्पो पर वचिार कर रहा है।
- **ब्रटिन:**
 - ब्रटिन भी 'ब्रटिश नेशनल ओवरसीज़ पासपोर्ट' के लयि पात्र 3 मलयिन हॉन्गकॉन्ग वासियों के लयि रेज़िडेंसी अधकारों का वसितार कर रहा है।
 - इस पासपोर्ट के तहत नागरिकों को पाँच वर्ष तक यू.के. में रहने और काम करने की अनुमति मिलती है।

चीन की प्रतकिरया:

- चीन ने हॉन्गकॉन्ग के साथ अपने आंतरकि मामलों में हस्तकषेप करने के खलिाफ ऑस्ट्रेलया को चेतावनी दी है।
- चीन ने यह भी संकेत दयि है कि इस तरह के कदम द्वपिक्षीय आर्थकि समझौतों को प्रभावति कर सकते हैं।
- ऑस्ट्रेलयाई द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों का अर्थव्यवस्था पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा मुद्दा और गंभीर हो सकता है।

भारत की प्रतकिरया:

- भारत उम्मीद कर रहा है कि संबंधति पक्ष गंभीरता और नषिपक्ष रूप से चतिाओं को ठीक से संबोधति करेंगे।
- हॉन्गकॉन्ग वशिष प्रशासनकि कषेत्र में बड़ा भारतीय समुदाय नवास करता है, अतः भारत हाल के घटनाक्रमों लगातार नगिरानी रख रहा है।

आगे की राह:

- वशि्लेषकों के अनुसार कानून को लागू करने से हॉन्गकॉन्ग में व्यापक वरिध प्रदर्शन एक बार फरि से शुरू हो सकते हैं, ऐसे में चीन की सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- यह देखना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि हॉन्गकॉन्ग स्थति से कैसे निपटता है। बेसकि लॉ के तहत इसे दी गई स्वतंत्रता 2047 में समाप्त हो जाएगी और यह स्पष्ट नहीं है कि उसके बाद हॉन्गकॉन्ग की स्थति कयि होगी।

स्रोत: द हट्टू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/australia-suspends-extradition-treaty-with-hong-kong>